jktdh; Lukrd egkfo|ky;] cxk.kk] rglhy cxk.kk] ftyk Åuk] fgekpy izns'k dh fuf/k

ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 1-4-07 ls 31-3-12

Hkkx&,d

1 izLrkouk&

राजकीय महाविद्यालय, बंगाणा, प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष सरकार, के पत्र संख्या ईडीएन–ए–खा(16)–10 / 95–पीटी–III दिनांक 8 जून, 2007 के अन्तर्गत अस्तित्व में आया। राजकीय महाविद्यालय बंगाणा के छात्र निधियों का यह प्रथम अंकेक्षण है।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k&

राजकीय स्नातक महाविद्यालय, बंगाणा के वर्तमान निधि लेखाओं का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुषील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 31.8.12 से 15.9.12 तक महाविद्यालय में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

vk; 7 / 07, 9 / 08, 9 / 09, 9 / 10 व 9 / 11

O;; 3 / 08, 12 / 08, 12 / 09, 12 / 10 व 12 / 11

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

orZeku vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k dh nkSjku fuEufyf[kr iz/kkukpk;Z vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds :i esa egkfo|ky; esa dk;Zjr jgs&

Ø0l0	vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh dk uke	vof/k
1	श्री राम पाल भारद्वाज (कार्यवाहक)	27.6.07 से 10.8.07
2	श्री प्रभजोत सिंह (कार्यवाहक)	11.8.07 से 17.7.08
3	श्रीमति षषी बाला	18.7.08 से 18.10.08
4	श्री राम पाल भारद्वाज (कार्यवाहक)	19.10.08 से 26.7.10
5	श्री देस राज षर्मा	27.7.10 से 30.5.11
6	श्री राम पाल भारद्वाज (कार्यवाहक)	31.5.11 से लगातार

3 vads{k.k 'kqYd%&

राजकीय स्नातक महाविद्यालय, बंगाणा के वर्तमान निधि लेखो के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण षुल्क वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर राषि ₹29000/–आंका गया है जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0सी0सी0वी0 बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या 906642 दिनांक 6.9.2012 के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम भेज दिया गया। अंकेक्षण षुल्क का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

foÙkh; o"kZ	vk; ¼fuf/k½	vk; ¼lapf;dk½	dqy vk;	vads{k.k 'kqYd
2007–08	48134	1400	49534	4000
2008–09	164099	4900	168999	4000
2009–10	272506	–	272506	7000
2010–11	488271	–	488271	7000
2011–12	531435	–	531435	7000
			;ksx	29000

4 foÙkh; fLFkfr%&

राजकीय स्नातक महाविद्यालय, बंगाणा के वर्तमान निधि लेखों की अवधि 1.4.07 से 31.3.12 तक की वित्तीय स्थिति व दिनांक 31.3.12 को विभिन्न निधियों की रोकड़ वहियों के अन्तिम षेषों का विवरण बैंक खाता सहित परिषिष्ट "क" पर संलग्न है।

5 fofHkUu fuf/k;ksa esa ₹73765@&dh de olwyh%&

आय की जांच करने पर पाया गया कि राजकीय स्नातक महाविद्यालय बंगाणा द्वारा, सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित षुल्क एवं निधियों की दरों के अनुरूप छात्रों से षुल्क एवं निधियां

नियमानुसार नहीं वसूली गई, जिसके फलस्वरूप राषि ₹73765/—की कम वसूली हुई। प्रधान सचिव (षिक्षा), हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या नं0 ई0डी0एन0—ए0—खा(8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 के अनुसार महाविद्यालय के छात्रों से कम्पयूटर एव इन्टरनैट निधि ₹20/—प्रति छात्र वार्षिक दर से, एन0सी0सी0 निधि ₹5/—प्रति छात्र वार्षिक दर से व कम्पयूटर प्रयोगिक षुल्क (कामर्स व गणित के छात्रो ंसे) ₹15/—मासिक वसूला जाना अनिवार्य था। लेकिन राजकीय स्नातक महाविद्यालय बंगाणा द्वारा उपरोक्त उल्लेखित निधियां, अध्ययनरत्त छात्रों से न वसूलने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान राषि ₹73765/—की कम वसूली हुई है। अतः कम वसूली बारे स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त सम्पूर्ण राषि सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली करके राषि सम्बन्धित छात्र निधियों में जमा करवाई जाए व भविष्य में सरकार द्वारा समय—2 पर जारी निर्देषों को ध्यान में रखते हुए छात्र निधियॉ प्राप्त की जाए।

¼d½ dEi;Vj ,o bUVjuV fuf/k d : i e ₹17540@&dh de olyh&

Ø0 l0	foŸkh; o"k	Nk=k dh l0	nj ₹ e	de olyh ₹ e
1	2010—11	419	20	8380
2	2011—12	458	20	9160
			;kx	₹17540

¼[k½ ,u0l h0l h0 fuf/k d : i e ₹4385@&dh de olyh&

1	2010—11	419	5	2095
2	2011—12	458	5	2290
			;kx	₹4385

¼x½ dEi;Vj i;kfxd 'kYd fuf/k d : i e ₹51840@&dh de olyh&

1	2010—11	125	₹15 मासिक अर्थात ₹180/— वार्षिक	22500
2	2011—12	163	₹15 मासिक अर्थात ₹180/— वार्षिक	29340
			;kx	₹51840
			(क)+(ख)+(ग) का कुल योग	₹73765

6 ₹13500 dh jkf’k ljdkjh dk"k e nsjh ls tek djokukA&

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत्त छात्रों से षुल्क व षैक्षणिक षुल्क के रूप में वसूली गई राषि को वसूली के आगामी दिन सरकारी कोष में जमा न करवाकर, उसे कई–2 दिनों तक हस्तगत रखकर अस्थाई रूप से दुरूपयोग किया गया। नियमानुसार प्राप्त राषि को वसूली के आगामी कार्य दिवस को सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः षुल्क व षैक्षणिक षुल्क के रूप में वसूली गई राषि को वसूली के आगामी कार्य दिवस को सरकारी कोष में जमा न करवाकर कई–2 दिनो तक हस्तगत रखकर अस्थाई रूप से दुरूपयोग किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व त्रुटि बारे आवष्यक उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवष्यक कार्यवाही की जानी भी सुनिष्चित की जाए। सरकारी राषि को देरी से जमा करवाने का विवरण निम्नलिखित प्रकार से पाया गया:–

Ø0l0	'kYd o 'k{kf.kd 'kYd olyh dh frfFk	0kl yh xbZ jkf'k	ljdkjh dk"k e djoku frfFk	dk"k tek dh	ftru njh l djokbZ fnu tek
1	25.6.07	780	23.7.07		27 दिन
2	29.6.07	1080	23.7.07		23 दिन
3	5.7.07	525	23.7.07		17 दिन
4	12.7.07	735	23.7.07		10 दिन
5	11.8.07	1425	20.8.07		8 दिन
6	22.10.07	5100	5.11.07		13 दिन
7	29.10.07	900	5.11.07		6 दिन
8	7.7.08	2955	14.7.08		6 दिन
	;kx	13500			

7 ₹2775@&dh jkf’k ljdkjh dk"k e tek djoku dk pkyku vd{k.k e iLrr u djukA&

फीस एवं संग्रह रजिस्टर के अनुसार दिनांक 16.6.10 से 17.6.10 तक के दौरान षैक्षणिक षुल्क के रूप में ₹2775/–वसूली गई। लेकिन उक्त राषि को सरकारी कोष में जमा करवाने से सम्बन्धित चालान अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। राषि जमा करवाने से सम्बन्धित चालान के अभाव में राषि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मूल चालान सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए व किसी भी प्रकार के दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राषि ब्याज सहित सम्बन्धित कर्मचारी से वसूलने

उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष में जमा करवाई गई राषियों का मिलान सम्बन्धित सरकारी कोष से विवरणी प्राप्त करके नहीं किया जा रहा था जिससे समय–2 पर जमा करवाई गई राषियों की पुष्टि नहीं होती। सरकारी कोष के साथ आवष्यक मिलान न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसकी गम्भीरता/आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए आवष्यक मिलान सरकारी कोष के साथ अविलम्ब किया जाए व इस विभाग को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

8 <u>jkf'k ₹1850@&dk vf/kd Hkqxrku%&</u>

मिश्रित निधि से किए गए व्यय की जॉच करने पर पाया गया कि मै0 जगदम्बा रेडियो लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस, बंगाणा को बिल संख्या 1519, दिनांक 21.12.10 के द्वारा खरीदे गए सामान हेतु ₹7560/–का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से पाया गयाः–

Ø0l0	lkeku dk fooj.k	ek=k	nj ₹ e	eY; ₹ e
1	टैन्ट	10 नं0 (1500 वर्ग मी0)	1.50	2250
2	पर्दे	10	50	500
3	कुर्सियां	400	3	1200
4	वी0आई0पी0 कुर्सियां	20	10	200
5	मैट	16	50	800
6	मेज	22	30	660
7	बैनर	3	–	500
8	साऊंड	1	–	250
9	दरी	5	20	100
10	मजदूरी	–	–	500
11	किराया	–	–	600
			;kx	7560

किये गए व्यय की जॉच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म को ₹1850/–का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न वर्णित है। ₹1850/–के अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए आवष्यक वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए।

¼i½ उपरोक्त उल्लेखित व्यय की निविदा की जांच करने पर पाया गया कि निविदा मे क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित टैन्ट ₹1.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से निविदा भरी गई परन्तु टैन्ट हेतु ₹1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया। अतः ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1500 वर्ग मीटर के लिए ₹750/–(1500x0.50) का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया।

¼ii½ क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित मजदूरी के रूप में ₹500/–व क्रम संख्या 11 पर उल्लेखित किराया के रूप में ₹600/–कुल ₹100/–का भुगतान किया गया जिसकी निविदा में कोई षर्त उल्लेखित नहीं थी। अतः ₹1100/–का भुगतान अधिक एवं गलत भुगतान किया गया।

9 jkf'k ₹1600@&dk vf/kd@vufpr Hkxrku%&

¼i½ मिश्रित निधि से किये गए व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मै0 जगदम्बा रेडियो लाईट एण्ड टैन्ट हाऊस, बंगाणा को बिल संख्या 1433 दिनांक 30.12.11 के अन्तर्गत ₹9300/–का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से पाया गया:–

Ø0l0	lkeku dk fooj.k	ek=k	nj ₹ e	eY; ₹ e
1	टैन्ट	10	225	2250
2	पर्दे	12	50	600
3	कुर्सियां	350	3	1050
4	वी0आई0पी0 कुर्सियां	26	10	260
5	मैट (हरा)	8	80	640
6	मैट (लाल)	8	50	400
7	साऊड सिस्टम	–	–	800
8	टैबल	25	30	750
9	बैन्च	4	50	200
10	किराया	–	–	1000

11	जेनरेटर	–	–	700
12	दरी	6	25	150
13	मजदूरी	–	–	50
			;kx	9300

उपरोक्त उल्लेखित व्यय की निविदा की जांच करने पर पाया गया कि क्रम संख्या 7 पर उल्लेखित साऊंड सिस्टम की दर ₹200/–व डी0जे0 की दर ₹800/–निविदा में भरी गई है जबकि साधारण साऊंड सिस्टम लगाने पर ₹800/–का भुगतान करके ₹600/– (800–200) अधिक एवं अनुचित भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिक एवं अनुचित भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व ₹600/–की सम्बन्धित कर्मचारी/फर्म से वसूली करके राषि जमा करवाई जाए। कृत कार्रवाई से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

¼ii½ उपरोक्त बिल में क्रम संख्या 10 पर दर्षाया गया किराया ₹1000/– उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि बंगाणा से कॉलेज की दूरी केवल 1 किलोमीटर है। अतः किराए के रूप में भुगतान की गई राषि ₹1000/–को उचित/तर्कसंगत ठहराया जाए अन्यथा वसूली करके राषि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

10 ₹41922@&dk [kyk dk lkeku nj lfonk ikIr Qel ls d;u djus ckjs&

जांच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि व खेल निधि से खेलों से सम्बन्धित निम्नलिखित सामान खरीदा गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

Ø0 l0	fcy l0@fnukd	Qel dk uke ,o irk	[kjhn x, lkeku dk fooj.k	ek=k	nj	eY;
		¼fefJr fuf/k½				
1	713/षून्य	राजधानी स्पोर्टस राम मन्दिर, षिमला	क्रिकेट बॉल	24	130	3120.00
			क्रिकेट वैट (बी0डी0एम0)	1	3239.50	3239.50
			क्रिकेट वैट स्पार्टन	2	773.30	1546.60
			क्रिकेट स्टम्पस विद बैंक	8	47	376.00
			क्रिकेट बैटिंग ग्लवस	3	499	1497.00
			क्रिकेट डब्लयू0के0 ग्लबस विद इनर	1	525	525.00

			क्रिकेट डब्लयू0के0 लॉक लैग गार्ड	1	587	587.00
			क्रिट एवडोमिनल गार्ड	3	38.66	115.98
			स्पोर्टस किट	16	251.75	4028.00
			स्टैकिंग	16	6175	988.18
					;kx	18488-18
				मूल्य वर्धित कर		739.52
				कुल योग		19227.70
		¼[k;y fuf/k½				
2	षून्य / 26.11.10	स्पोर्टस सैन्टर, ऊना	क्रिकेट स्टडस	15	750	11250.00
			क्रिकेट किट (टी–षर्ट+ट्राउजर)	15	260	3900.00
			वैट (कष्मीरी बिलों)	2	1250	2500
			वैट (एग्रो)	1	950	950
			वीपिंग ग्लवस	1	410	410
			स्पोर्टर	4	105	420
			क्रिकेट बॉल	6	90	540
			मैजरिंग टेप	1	525	525
			क्रिकेट किट बैग	1	450	450
			बैटिंग पैडस	2	875	1750

;kx	22695
क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग	41922.70

उपरोक्त बिलों की जांच करने पर पाया गया की राषि ₹41922/—का खेलों का सामान निविदाओं के आधार पर क्रय किया गया। उपरोक्त उल्लेखित खेलो का सामान हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा फर्म से न क्रय करन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व दर संविदा फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरान्त, किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ मदवार अलग—2 पृष्ठ पर दर्ज की जानी भी सुनिष्चित की जाए।

11 lxhr fuf/k ls ₹29295@&dk lkeku dk Øe esa LFkkuh; Qeks dh vuns[kh djds mfpr ifrLi/kk u djokuk&

निम्नलिखित बिलों के अन्तर्गत मै0 हिमाचल म्यूजिक हाऊस, कच्ची घाटी, षिमला को ₹29295/—का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:—

Ø0l0	fcy l0@fnukd	Qe dk uke ,o irk	lkeku dk fooj.k	ek=k	nj ₹ e	eY; ₹ e
1	874/20.12.10	हिमाचल म्यूजिक हाऊस, कच्ची घाटी षिमला	तबला जोड़ा	1	3950	3950
			हारमोनियम (स्केल चेंजर)	1	14900	14900
			सितार	1	5900	5900
					;kx	24750
2	875/20.12.10	हिमाचल म्यूजिक हाऊस, कच्ची घाटी षिमला	रैडल मैस्टरोज पल्ष तनपुडा इलैक्ट्रनिक्स विद 3 साल वांरटी			4370

वैट	175
;kx	4545
क्रम संख्या (1) व (2) का कुल भुगतान	29295
मिश्रित निधि से भुगतान	21295
संगीत निधि से भुगतान	8000

उपरोक्त बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त सामान क्रय करने से पूर्व जो निविदाएं प्राप्त हुई है, उनमें से एक निविदा मै0 कलकता म्यूजिक हाऊस, जालन्धर दूसरी निविदा अमृत स्पोर्टस, चण्डीगढ़ व तीसरी निविदा मै0 हिमाचल म्यूजिक हाऊस, कच्ची घाटी, षिमला से प्राप्ति हुई पाई गई। निविदा आमन्त्रण पत्र भी उक्त तीनों फर्मों को भेजे गए जबकि स्थानीय बाजार में उक्त सामान की अनुपलब्धता की अवस्था में ही हिमाचल प्रदेष सीमाओं के बाहर पंजाब राज्य से निविदा आमन्त्रित की जानी आपेक्षित थी। उक्त सम्पूर्ण सामान स्थानीय बाजार ऊना में भी आसानी से उपलब्ध हो सकता था, लेकिन स्थानीय बाजार से कोई निविदा नहीं ली गई, जो कि स्वतः इस बात को प्रमाणित करता है कि मै0 हिमाचल म्यूजिक हाऊस, कच्ची घाटी, षिमला को अप्रत्याषित लाभ देने के प्रयोजन से एक निविदा हिमाचल प्रदेष के भीतर व दो निविदाएं हिमाचल प्रदेष के बाहरी राज्य पंजाब से ली गई व स्थानीय फर्मों की अनदेखी करके उन्हें प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका ही नहीं दिया गया जोकि एक वित्तीय अनियमितता होने के साथ–2 क्रय नियमों की स्पष्ट रूप से अवहेलना है। अतः संगीत से सम्बन्धित सामान की दरे स्थानीय बाजार की फर्मों से आमन्त्रित न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व क्रय दरों की तुलना स्थानीय बाजार की दरो ंसे करने उपरान्त किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त दो निविदाएं हिमाचल प्रदेष की सीमाओं के बाहर से आमन्त्रित करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

12 ₹22000@&d lkeku Ø; djus gsrq LFkkuh; Qeksa dh vuns[kh djds [kjhn ckgjh jkT; ls djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि सांस्कृतिक गतिविधि निधि से दिनांक 1.11.011 के दौरान श्रीमति अनु अत्री को ₹20000/–का अग्रिम निम्न वर्णित सामान के क्रय हेतु भुगतान किया गया जिसके समायोजन वाऊचर का विवरण निम्नलिखित प्रकार से पाया गयाः–

Ø0 l0	fcy l0@fnukad	QeZ dk uke ,oa irk	lkeku dk fooj.k	ek=k	nj ₹ esa	ewY; ₹ esa
1		रेन जनरल स्टोर आनन्दपुर साहिब, रोपड़	ड्रैस	10	1725	17250
			ज्वैलरी	10 सैट	475	4750

;kx	22000
अग्रिम राषि	20000
बकाया राषि	2000

उपरोक्त क्रय किया गया सामान हिमाचल प्रदेष की सीमाओं के बाहर आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) से क्रय करने बारे स्थिति स्पष्ट किया जाए जबकि उपरोक्त उल्लेखित सामान स्थानीय बाजार ऊना में भी आसानी से उपलब्ध था तथा यह भी प्रमाणित/सत्यापित किया जाए कि खरीद तत्कालीन बाजार दरों पर ही की गई है।

13 ₹10000@& dh vfxze jkf'k dk lek;kstu okmpj izLrqr u djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से चैक संख्या 640335, दिनांक 15.10.11 के अन्तर्गत ₹10000/–का अग्रिम श्री अजय कुमार, वरिष्ठ सहायक को कॉलेज में बिजली का मीटर लगवाने हेतु दिया गया। उक्त अग्रिम राषि के समायोजन से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। बिल/वाऊचरों के अभाव में अग्रिम राषि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित समायोजन वाऊचर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

इसके अतिरिक्त मिश्रित निधि से बिजली का मीटर लगवाने हेतु दिया गया अग्रिम नियमों के विपरीत है। अतः त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्पूर्ण राषि उचित स्त्रोत से वसूल करने उपरान्त यह राषि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 vfxze jkf'k [kpZ djus ds mijkUr 'ks"k cph jkf'k ₹4550@& dks 62 fnu ckn fuf/k ys[kk esa tek djokuk&

दिनांक 30.12.11 को संगीत विभाग की श्रीमति अनु लखनपाल प्रवक्ता को ₹15000/–की अग्रिम राषि सी0एस0ए0 समारोह के उपलक्ष्य में दिया गया। सी0एस0ए0 समारोह दिनांक 30.12.11 को ही सम्पन्न हुआ है, जिसमें ₹10450/–का व्यय किया गया व षेष राषि ₹4550/–को समारोह समाप्ति के अगले दिन जमा न करवा कर 62 दिन उपरान्त रसीद संख्या 0091262 दिनांक 3.3.12 को जमा करवाया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त प्रवक्ता द्वारा ₹4550/–का लगभग दो माह तक छात्र निधि का दुरूपयोग किया गया। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निधि लेखा को हुई ब्याज की हानि बारे जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। इसके

अतिरिक्त भविष्य में अग्रिम राषि अनुमानित व्यय की 90% प्रतिषत ही दी जानी सुनिष्चित की जाए ताकि अस्थाई दुरूपयोग की प्रवृति पर रोक लगाई जानी सम्भव हो सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 Nk=k dh l[;k d vu:i if=dk u Nioku d dkj.k ₹2283@&dk 0;Fk 0;;%&

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु महाविद्यालय पत्रिका छपवाने हेतु मैसर्ज पवना पिंटर, हमीरपुर को ₹21695/– का भुगतान पत्रिका निधि से किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से पाया गयाः–

Ø0l0	Qe dk uke ,o irk	fcy l0@fnukd	Ekk=k	nj ₹ e	eY; ₹ e
1	मै0 पवना प्रिंटर हमीरपुर	षून्य/30.4.11	475	43.50	20662.50
			मूल्य वर्धित कर 5%		1033.00
			;kx		21695-50

उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में महाविद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 419 है। अतः पत्रिका छपवाने से पूर्व छात्रों की संख्या को मध्यनजर रखना अनिवार्य था, ताकि अनावष्यक एवं व्यर्थ व्यय से बचा जा सके। महाविद्यालय द्वारा 419 छात्रों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए 425 पत्रिकाओं का छपवाया जाना अपेक्षित था लेकिन महाविद्यालय द्वारा 425 की जगह 475 पत्रिका छपवाई गई फलस्वरूप 50 पत्रिकाएं छपवाने पर ₹2283/–का अनावष्यक एवं व्यर्थ व्यय किया गया। अतः ₹2283/–के किये गए अनावष्यक एवं व्यर्थ व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में पत्रिका छपवाने से पूर्व छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय पत्रिका का मुद्रण करवाया जाए ताकि व्यर्थ व्यय से बचा जा सके।

¼ii½ पत्रिका छपवाने से पूर्व एकत्रित की गई निविदाओं की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा ₹43.50/–प्रति पत्रिका की दर 100 पेज की पत्रिका हेतु भी गई थी, जबकि वास्तव में छपवाई गई पत्रिका के पेजों की संख्या 51 है। अतः सम्बन्धित फर्म को भुगतान करने से पूर्व पत्रिका के पृष्ठों की संख्या को मध्यनजर रखते हुए प्रति पत्रिका की दर से आंषिक कटौति की जानी अनिवार्य थी, ताकि अधिक एवं गलत भुगतान को रोका जा सकता लेकिन महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित फर्म को अप्रत्याषित लाभ देने के प्रयोजन से पत्रिका में पृष्ठों की संख्या कम होने के बावजूद भी बिल से कोई कटौती नहीं की गई। अतः निविदाएं आमन्त्रित करते समय

स्पष्ट दरें प्राप्त न करने तथा वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आवष्यक कटौती फर्म से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक हुए भुगतान की गणना महाविद्यालय स्त्तर पर करके आवष्यक वसूली की जाए।

16 _.k okfilh jkf’k ₹6450@&dk jkdM+ ogh ds vk; i{k esa ntZ u djuk%&

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से दिनांक 12.3.08 को ₹6450/–का ऋण कार्यालय के बिजली के बिलों का भुगतान करने हेतु किया गया। उक्त ऋण की राषि दिनांक 22.12.08 को मिश्रित निधि की बचत पास बुक में वापिस जमा करवा दी गई, लेकिन उक्त ऋण वापिसी की राषि रोकड़ वही के आय पक्ष में ऋण वापिसी की प्राविष्टि दर्ज नहीं की गई। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त ₹6450/–की ऋण वापिसी की प्रविष्टि रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ₹2904@&dk lEHkkfor nq:i;ksx%&

जांच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि के बचत खाता संख्या से दिनांक 19.12.09 को ₹2904/–की निकाली की गई। उक्त आहरित की गई राषि का उल्लेख न तो रोकड़ वही के व्यय पक्ष में किया गया है व न ही उक्त राषि के व्यय करने से सम्बन्धित बिल/वाउचर मिश्रित निधि की व्यय वाऊचर फाईल में मौजूद है। आहरित की गई राषि का रोकड़ वही में इन्द्राज न करना व व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख मौजूद न होने के कारण उक्त राषि के दुरूप्योग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः आहरित की गई राषि की रोकड़ वही में प्रविष्टि न होना, व उक्त राषि किस उद्देष्य/कार्य हेतु आहरित की गई है, से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख न होना, उक्त राषि के दुरूपयोग की सम्भावना को दर्षाता है। उक्त राषि बिना किसी उद्देष्य/कार्य के आहरित करने का स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा सम्पूर्ण राषि की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 mŸkjiqfLrdkvksa dk [kir fooj.k rS;kj u djuk o ₹200@&dk fizfVax O;; ds :i esa vf/kd ,oa vuqfpr Hkqxrku&

¼i½ माह 12/09 में बिल संख्या 1063 दिनांक 5.12.09 के अन्तर्गत मै0 पूनम प्रिटिंग प्रैस, बंगाणा को ₹3800/–का भुगतान गृह परीक्षा निधि से निम्नलिखित उत्तरपुस्तिकाएं क्रय करने पर किया गयाः–

Ø0 l0	fooj.k	Ekk=k	nj	eY;
1	उत्तरपुस्तिका 12 पेज	2000	₹1450/– प्रति हजार	2900
2	उत्तरपुस्तिका 4 पेज	2000	₹350/– प्रति हजार	700
3	200 नम्बर उत्तरपुस्तिका प्रिटिंग खर्च	–	–	200
			;kx	3800

उपरोक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि उक्त क्रय उत्तरपुस्तिकाओं की स्टॉक प्रविष्टियॉ व खपत से सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। स्टॉक प्रविष्टि व खपत से सम्बन्धित विवरण सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न होने के कारण उत्तरपुस्तिकाओं के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता है। अतः उत्तरपुस्तिकाओ की स्टॉक प्रविष्टियॉ एवं खपत का विवरण विषयवार, कक्षावार व छात्रों की संख्यानुसार दर्ज किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि उतरपुस्तिकाओं के क्रय एवं खपत का सत्यापन सम्भव हो सके।

¼ii½ उक्त बिल में प्रिटिंग व्यय के रूप में भुगतान की गई राषि देय नहीं थी, क्योंकि सम्बन्धित फर्म ने अपनी निविदा में प्रिटिंग खर्च अलग से लेने की षर्त उल्लेखित नहीं थी। अतः ₹200/–की वसूली सम्बन्धित फर्म से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 ₹3060@&ds lkeku dh LVkWd izfof"V o [kir ls lEcfU/kr vfHkys[k LVkWd jftLVjksa esa ntZ u gksuk&

माह 12/08 में मिश्रित निधि से मै0 पूनम प्रिटिंग प्रैस, बंगाणा को ₹3060/–का भुगतान 18 रिम प्रिंटिग पेपर, ₹170/–प्रति रिम की दर से क्रय करने पर किया गया है। उक्त क्रय 18 रिम प्रिटिंग पेपर की स्टॉक प्रविष्टियॉं व खपत से सम्बन्धित अभिलेख मिश्रित निधि के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है। स्टॉक प्रविष्टि व खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए सामान, के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांन्छित स्टॉक प्रविष्टि एवं खपत से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। खरीदे गए सामान के दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राषि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

20 io’k foojf.kdkvks dks cpus ls ikIr vk; dk lUnHkZ e%&

जांच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से महाविद्यालय के छात्रों के प्रवेष हेतु प्रवेष विवरणिका छपवाने पर निम्नलिखित व्यय किए गए दर्षाए गए।

Ø0l0	fcy l0@fnukad	QeZ dk uke ,oa irk	ek=k	nj	eWY;
1	391/14.6.08	मै0 जे0एन0 प्रिंटर दौलतपुर चौक अम्ब	300	19	5700
				छूट	500
					5200
2	1003/18.6.09	मै0 पूनम प्रिटिंग प्रैस, बंगाणा	500	20	10000
3	900/7.6.10	मै0 पूनम प्रिटिंग प्रैस, बंगाणा	500	27	13500
	क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग				28700

उपरोक्त व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि छपवाए गए 1300 प्रवेष विवरणिका की स्टॉक प्रविष्टि व उक्त 1300 प्रवेष विवरणिका को किस दर पर छात्रों को बेचा गया है व बेचने से कितनी आय कब–2 प्राप्त हुई है से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तविक रूप में उक्त प्रवेष विवरणिकाओ को छात्रों को बेचने से कितनी आय प्राप्त हुई है व उसे किस खाते में कब–2 जमा करवाया गया है। प्रवेष विवरणिका बेचने से प्राप्त आय को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाना आपेक्षित है। अतः प्रवेष विवरणिका बेचने से प्राप्त आय का वांछित अभिलेख

सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि अंकेक्षण अवधि के दौरान छपवाई गई प्रवेष विवरणिकाओं से प्राप्त आय का दुरूपयोग नहीं हुआ है। कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

21 yDpj LV.M [kjhnu ij fefJr fuf/k l ₹3600@&dk vfu;fer Hkxrku%&

वाउचर संख्या 42 दिनांक 18.11.11 के अन्तर्गत मै0 वी0एस0 स्टील इन्डस्ट्री बंगाणा को ₹3600/—का भुगतान, 4 लैक्चर स्टैण्ड ₹900/—प्रति लैक्चर स्टैण्ड की दर से क्रय करने पर किया गया है। हिमाचल प्रदेष अध्यादेष के अध्याय XL11 के नियम 42.2 के अनुसार उक्त व्यय मिश्रित निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं था। अतः अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने उपरान्त यह राषि मिश्रित निधि मे ंजमा करवाई जाए। अन्यथा अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 ₹1195@&dh fdrkck dh LVkd ifof"V iLrdky; jftLVj e u gkuk%&

माह 11/09 में मिश्रित निधि से बिल संख्या 2045 दिनांक 17.11.09 के अन्तर्गत मै0 अपोलो इन्टरनेषनल, षिमला को ₹1195/—का भुगतान 3 सैट किताबें, ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी भाषा को क्रय करने पर किया गया। उक्त क्रय किताबों की स्टॉक प्रविष्टियॉ पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं पाई गई। स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में किताबों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित स्टॉक प्रविष्टि पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर में की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए, ताकि दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राषि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

23 'k{kf.kd Hke.k l lEcfU/kr iek.k u gkuk%&

दिनांक 30.11.09 को ₹8375/—का भुगतान मिश्रित निधि से बी0ए0 तृतीय वर्ष के छात्रो को 25% प्रतिषत अंषदान के रूप में बंगाणा से मसूरी हेतु षैक्षणिक भ्रमण पर आए खर्च की प्रतिपूर्ति कें रूप में किया गया।षैक्षणिक भ्रमण की प्रमाणिकता से सम्बन्धित कोई भी प्रमाण अभिलेख में मौजूद नहीं पाया गया फलस्वरूप उक्त भुगतान, षैक्षणिक भ्रमण के किसी भी प्रमाण के अभाव में संदेहात्मक प्रतीत होता है। अतः आवष्यक प्रमाण व्यय वाऊचर के साथ संलग्न किया जाए, ताकि दर्षाए गए व्यय की वास्तविकता का सत्यापन सम्भव हो सके अन्यथा ₹8375/—की वसूली करके राषि छात्र निधि में जमा करवाई जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 <u>₹3059@&dk _.k dh okfilh u djuk&</u>

माह 10/09 में मिश्रित निधि से ₹3509/–का ऋण कार्यालय बिजली का बिल भुगतान करने हेतु लिया गया है, लेकिन उक्त ऋण मिश्रित निधि को कब वापिस किया गया है, अभिलेख मे ंस्पष्ट नहीं है। अतः उक्त ऋण राषि मिश्रित निधि में कब जमा करवाई गई है, इसका पूर्ण विवरण ऋण रजिस्टर में दर्ज किया जाए। ऋण राषि वापिस न करने की अवस्था मे ंसम्पूर्ण ऋण की राषि मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 <u>₹18560@& dh ikorh u gkuk&</u>

माह 12/08 मे परीक्षा निधि से ₹18560/–का भुगतान परीक्षा षुल्क के रूप में वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय, षिमला को किया गया दर्षाया गया। लेकिन उक्त परीक्षा षुल्क जमा करवाने की पावती अभिलेख में मौजूद नहीं है। अतः उक्त राषि जमा करवाने की पावती/रसीद विष्वविद्यालय से प्राप्त की जानी सुनिष्चित की जाए व सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

26 <u>₹500@&dh Mkd fVdVksa dk [kir fooj.k rS;kj u djuk&</u>

जांच के दौरान पाया गया कि अनुपस्थिति षुल्क निधि से माह 2/10 के दौरान ₹500/–की डाक टिकटों का क्रय किया गया है लेकिन उक्त क्रय की गई डाक टिकटों का खपत विवरण तैयार नहीं किया गया है। खपत विवरण के अभाव में क्रय की गई डाक टिकटों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित अभिलेख सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राषि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

27 <u>jkf'k ₹190@&ljdkjh dks"k esa de tek djuk&</u>

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों स षुल्क व षैक्षणिक षुल्क के रूप में वसूली गई राषि से कम राषि सरकारी कोष में जमा करवाई गई। अतः षुल्क व षैक्षणिक षुल्क के रूप में कम जमा करवाई गई राषि ₹190/–बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व उक्त राषि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से वसूली करने उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। कम जमा करवाई गई सरकारी राषि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

Ø0l0 vof/k olwyh xbZ tek djokbZ de tek

		jkf’k	xbZ jkf’k	djokbZ xbZ jkf’k
1	7.7.08	2955	2935	20
2	21.7.08	915	895	20
3	12.6.09 से 18.6.09	4800	4650	150
			;ksx	190

28 vfxze jftLVj rS;kj u djuk&

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न निधियों से विभिन्न प्रायोजनों हेतु अग्रिम राषियां महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई, लेकिन महाविद्यालय द्वारा अग्रिम राषि दिए जाने से सम्बन्धित अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया है अग्रिम रजिस्टर के अभाव में यह सुनिष्चित नहीं किया जा सकता कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न उद्देष्यों एवं प्रायोजनों हेतु महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन हो गया है अथवा नही। अतः अवधि 1.4.07 से 31.3.12 तक का अग्रिम रजिस्टर पूर्ण विवरण सहित स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्ततु किया जाए ताकि यह भी सुनिष्चित किया जा सके कि अंकेक्षण अवधि के दौरान दी गई अग्रिम राषियों का समायोजन हो चुका है व किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई भी राषि वसूली हेतु षेष नहीं है।

29 _.k jftLVj rS;kj u djuk&

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न निधियों से अन्य प्रायोजनों हेतु ऋण दिए गए है, लेकिन ऋण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जो कि वित्तीय नियमों की अवहेलना है। अतः अवधि 1.4.09 से 31.3.2012 तक का ऋण रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें ऋण वापिसी की तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि जितनी ऋण राषि जिस निधि से ली गई है, उतनी ऋण राषि उस निधि में वापिस जमा करवा दी गई है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 jlhnksa dk LVkWd jftLVj u j[kuk ckjs&

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से फीस व निधियों की वसूली हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः फीस व निधियों को प्राप्त करने हेतु जारी की गई समस्त रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाए व जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

31 mŸkjiqfLrdkvksa dh [kir dk fooj.k u j[kus ckjs&

जांच के दौरान पाया गया कि उत्तरपुस्तिकाओं के स्टॉक रजिस्टर में उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का अभिलेख नियामनुसार नहीं रखा गया है। गृह परीक्षाओं हेतु खरीदी गई उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का विवरण कक्षा, छात्रों की संख्या, पेपर इत्यादि प्रत्येक दिनांक के आधार पर स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार किया जाए ताकि स्टॉक लेखा सही स्थिति को दर्षा सके समय–2 की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित किया जाए।

32 LVkWd o LVkWj e= 'ks"k iMs lkeku dk HkkSfrd lR;kiu u djokus ckjs&

जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/07 से 3/12 के दौरान स्टोर व स्टॉक में षेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया जबकि नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर व स्टॉक में षेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर व स्टॉक में षेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

33 miHkksT; o vuqiHkksT; lkeku dk vyx&2 LVkWd jftLVj u j[kus ckjs&

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में निधियों से खरीदे गए उपभोज्य व अनुपभोज्य सामान का अलग–2 स्टॉक रजिस्टर नहीं लगाया गया है जबकि नियमानुसार उपभोज्य व अनुभोज्य सामान का स्टॉक रजिस्टर अलग–2 तैयार करना आपेक्षित था। अतः तुरन्त प्रभाव से निधियों के उपभोज्य व अनुपभोज्य अलग–2 स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाए व प्रत्येक मद हेतु अलग–2 पृष्ठ आबंटित करके तदानुसार स्टॉक प्रविष्टियॉ की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

34 y/kq vkifr foojf.kdk%&यह अलग से जारी नहीं की गई है।

35 fu"d"kZ%& लेखों के रख रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :11(2)(210)/2012 फिन(एल0ए0)खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

iathd`r 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बंगाणा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2 प्रधान सचिव (षिक्षा) हिमाचल प्रदेष षिमला–171002

3 निदेषक, षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.
4 उप निदेषक, षिक्षा विभाग जिला ऊना, ऊना हि0प्र0
5 श्री राज कुमार, अ0अ0 द्वारा..

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.